



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092021-229898
CG-DL-E-23092021-229898

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3613]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 23, 2021/आश्विन 1, 1943

No. 3613]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 23, 2021/ASVINA 1, 1943

भारी उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2021

विषय: उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) के लिए दिशानिर्देश ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक उद्योग के लिए योजना का.आ. 3947(अ).—1 पृष्ठभूमि

- 1.1 ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों (इसके बाद "स्कीम" के रूप में संदर्भित) के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को अधिसूचना संख्या का.आ. 3946(अ) दिनांक 23.09.2021 द्वारा अधिसूचित किया गया है।
- 1.2 उक्त अधिसूचना के पैरा-7 के अनुसरण में और योजना के प्रभावी संचालन और सुचारू कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्धारित किए जा रहे हैं जिन्हें योजना के साथ पढ़ा जाना है। योजना और दिशानिर्देशों के बीच किसी भी विसंगति के मामले में, योजना के प्रावधान मान्य होंगे।
- 1.3 ऑटोमोटिव उद्योग भारत में एक प्रमुख आर्थिक योगदानकर्ता है। यह क्षेत्र भारत के विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद के ~ 35% के लिए जिम्मेदार है और अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख विकास चालक रहा है। आज, कई घटक विनिर्माता वैश्विक ऑटो ओईएम के लिए टीयर 1 आपूर्तिकर्ता हैं और कई भारत विनिर्मित मोटर वाहन अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपना रास्ता बनाते हैं। यह दर्शाता है कि भारतीय ऑटोमोटिव क्षेत्र वैश्विक तकनीकी परिवर्तनों और अन्य वैश्विक मानकों को अपनाने वाला रहा है।
- 1.4 ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश

आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव करती है। इसके प्रमुख उद्देश्यों में लागत की अक्षमताओं पर काबू पाना, पैमाने की अर्थव्यवस्था बनाना और उन्नत मोटर वाहन प्रौद्योगिकी उत्पादों के क्षेत्रों में एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना शामिल है। इससे रोजगार भी पैदा होगा। यह योजना ऑटोमोबाइल उद्योग को मूल्य श्रृंखला को उच्च मूल्य वर्धित उत्पादों में स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान करेगी।

1.5 ये दिशा-निर्देश योजना के प्रभावी और सुचारू कार्यान्वयन के लिए जारी किए जा रहे हैं। इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- परिभाषाएं
- कार्यकाल
- पात्रता
- आवेदन और ऑनलाइन पोर्टल
- परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) और अधिकार प्राप्त समिति (ईसी)
- योजना के तहत अनुमोदन
- प्रोत्साहन की गणना और संवितरण

2. परिभाषाएं

2.1. **आवेदक:** योजना के प्रयोजन के लिए आवेदक को भारत में कंपनी अधिनियम के तहत निगमित एक कंपनी या उसकी समूह कंपनी (कंपनियां) होनी चाहिए, जो ऑटोमोटिव और/या ऑटो घटक विनिर्माण क्षेत्र या नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी या उसकी समूह कंपनी में लगी हो। (जो वर्तमान में ऑटोमोबाइल या ऑटो घटक विनिर्माण व्यवसाय में नहीं हैं) योजना के तहत निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और योजना के तहत अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन करते हैं।

2.2. **आवेदन:** एक आवेदक द्वारा भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) को इन दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित आवेदन पत्र के अनुसार आवश्यक जानकारी के साथ सहायक दस्तावेजों और आवेदन शुल्क के साथ प्रस्तुत किया गया आवेदन। आवेदन पत्र को नियत समय में अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

2.3. **आवेदन स्वीकृति तिथि:** वह तिथि जिस पर भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा योजना के तहत अनुमोदन पत्र जारी किया जाता है।

2.4. **आवेदन विंडो:** इस योजना की अधिसूचना के 60 दिनों के भीतर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन आमंत्रित करने की सूचना के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने की विंडो 60 दिनों की अवधि के लिए होगी।

2.5. **स्वीकृत आवेदक/कंपनी:** पात्र कंपनी या उसकी समूह कंपनी (कंपनियां) जिन्हें योजना के तहत भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है।

2.6. **ऑटोमोटिव ओईएम:** सैन्य उपयोग और/या वाहन समुच्चय के लिए ट्रैक्टर और ऑटोमोबाइल सहित वाहन का मूल विनिर्माता।

2.7. **आधार वर्ष:** पात्र बिक्री मूल्य की गणना के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 (नए गैर-ऑटोमोटिव निवेशकों के लिए लागू नहीं)।

2.8. **कंप्लीटली बिल्ट-इन यूनिट (सीबीयू):** यह एक ऐसा वाहन है जो पूरी तरह से असेंबल किए गए रूप में होता है।

2.9. **कम्प्लीटली नॉकड डाउन (सीकेडी):** कम्प्लीटली नॉकड डाउन (सीकेडी) किट के रूप में एक वाहन जिसमें चेसिस, इंजन, गियरबॉक्स, ट्रांसमिशन मैकेनिज्म के साथ एक पूर्ण वाहन को असेंबल करने के लिए सभी आवश्यक भाग होते हैं जो पहले से असेंबल की स्थिति में नहीं होते हैं।

2.10. पात्र उत्पाद:

- i. पूर्व-अनुमोदित उन्नत मोटर वाहन प्रौद्योगिकी वाहन और सभी वाहनों के पूर्व-अनुमोदित उन्नत मोटर वाहन प्रौद्योगिकी घटक, सीकेडी / एसकेडी किट, दुपहिया, तिपहिया, यात्री वाहन, वाणिज्यिक वाहन और सैन्य उपयोग के लिए ऑटोमोबाइल सहित ट्रैक्टर।

- ii. उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी वाहनों और उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी घटकों की सूची निर्धारित की जाएगी और तकनीकी विकास के आधार पर समय-समय पर भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा संशोधित की जा सकती है।

2.11. योजना के तहत पात्र बिक्री मूल्य और निर्धारित बिक्री मूल्य:

- I. वाहन खंड के लिए पात्र बिक्री मूल्य: पात्र वाहनों के लिए कुल बिक्री (जीएसटी का निवल)।
- II. घटक खंड के लिए पात्र बिक्री मूल्य: पात्र घटकों के लिए कुल बिक्री (जीएसटी का निवल) या भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एजेंसी द्वारा निर्धारित पात्र घटक का विभाजित मूल्य।
- III. वाहन खंड के लिए निर्धारित बिक्री मूल्य: (किसी विशेष वर्ष के लिए वाहन खंड के लिए पात्र बिक्री मूल्य) में से (आधार वर्ष के लिए वाहन खंड के लिए पात्र बिक्री मूल्य) को घटाना।
- IV. घटक खंड के लिए निर्धारित बिक्री मूल्य: (किसी विशेष वर्ष के लिए घटक खंड के लिए पात्र बिक्री मूल्य) घटा (आधार वर्ष के लिए घटक खंड के लिए पात्र बिक्री मूल्य)।

2.12 सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस): जैसा कि 11 नवंबर 2020 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है, कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) (दिनांक 10.06.2020 के राजपत्र अधिसूचना के तहत मंत्रिमंडल द्वारा गठित) पीएलआई योजना की निगरानी करेगा। योजना के अंतर्गत व्यय की आवधिक समीक्षा, सभी पीएलआई योजनाओं की एकरूपता सुनिश्चित करना और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई करना कि व्यय निर्धारित परिव्यय के भीतर है। इसके अलावा, ड्राफ्ट मंत्रिमंडल नोट में उल्लिखित योजना के तौर-तरीकों में आवश्यक कोई भी परिवर्तन, इस शर्त के अधीन कि समग्र वित्तीय परिव्यय ₹ 25,938 करोड़ के भीतर रहता है, तो ईजीओएस के विचार के लिए रखा जाएगा।

2.13 वित्तीय वर्ष: वित्तीय वर्ष एक वर्ष के 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है।

2.14 अचल संपत्ति: अचल संपत्ति एक ऐसी संपत्ति है जिसका उपयोग माल या सेवाओं के उत्पादन या प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है और व्यापार के सामान्य प्रकारों जैसे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण आदि में बिक्री के लिए नहीं रखा जाता है।

2.15 अप्रत्याशित घटनाएँ: असाधारण घटनाएँ या परिस्थितियाँ जो मानव नियंत्रण से परे हैं, जैसे कि ईश्वर के कार्य के रूप में वर्णित घटना (जैसे प्राकृतिक आपदा) या युद्ध, हड़ताल, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, दंगे, अपराध जैसी घटनाएँ (लेकिन इसमें लापरवाही या गलत कार्य शामिल नहीं हैं- पूर्वानुमेय/मौसमी बारिश और किसी भी अन्य घटनाओं को विशेष रूप से बाहर रखा गया)।

2.16 वैश्विक समूह राजस्व: वैश्विक संचालन से ग्रुप की कंपनियों का कुल रेवेन्यू (किसी दिए गए साल में ऑटोमोटिव और ऑटो घटक विनिर्माण से)।

2.17 समूह कंपनियाँ¹: समूह कंपनी (कंपनियों) का अर्थ दो या दो से अधिक उद्यम होंगे, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित की स्थिति में हैं:

अन्य उद्यम में छद्म प्रतिशत या अधिक मतदान अधिकारों का प्रयोग करना;

या

अन्य उद्यम में निदेशक मंडल के पचास प्रतिशत से अधिक सदस्यों की नियुक्ति करना (जैसा कि 2020 के एफडीआई नीति परिपत्र में परिभाषित किया गया है)।

2.18 वैश्विक निवल मूल्य: यह किसी कंपनी या उसके समूह की कंपनी (कंपनियों) के सभी परिचालनों यानी सभी संपत्तियों (घरेलू प्लस विदेशी) में से घरेलू और विदेशी, सभी देनदारियों (घरेलू प्लस विदेशी) के सकल निवल मूल्य को संदर्भित करता है।

2.19 निवेश- योजना के पैरा -3.2 (सी) में उल्लिखित "निवेश" का अर्थ होगा:

2.19.1 संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और संबद्ध उपयोगिताओं पर किया गया व्यय: इसमें संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और संबंधित उपयोगिताओं के साथ-साथ उपकरण, ड्राई, मोल्ड्स, जिग्स, फिक्स्चर उनके (पाटर्स, एक्सेसरीज़,

¹ एफडीआई नीति परिपत्र, 2020

कंपोनेंट्स और उनके पुर्जों सहित) पर व्यय शामिल होगा। जो योजना के तहत किसी भी पात्र उत्पाद के डिजाइन, निर्माण, संयोजन, परीक्षण, पैकेजिंग या प्रसंस्करण में उपयोग किया जाता है। इसमें पैकेजिंग, माल दुलाई/परिवहन, बीमा, और संयंत्र का निर्माण और चालु करना, मशीनरी, उपकरण, और संबंधित उपयोगिताओं और कमीशनिंग पर व्यय भी शामिल होगा। संबद्ध उपयोगिताओं में कैप्टिव पावर और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, संचालन क्षेत्र में आवश्यक उपकरण जैसे स्वच्छ कमरे, हवा के पर्दे, तापमान और वायु गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली, संपीडित हवा, पानी और बिजली की आपूर्ति, और नियंत्रण प्रणाली शामिल होंगे। संबद्ध उपयोगिताओं में सर्वर, सॉफ्टवेयर और ईआरपी समाधानों सहित विनिर्माण से संबंधित आईटी और आईटीईएस अवसंरचना भी शामिल होगी। ऐसे व्यय में सभी गैर-आकलनीय करों और शुल्कों को भी शामिल किया जाएगा।

- 2.19.2** भूमि और भवन पर किया गया व्यय: भूमि पर किए गए व्यय को संचयी न्यूनतम घरेलू निवेश के प्रारंभिक मानदंड को पूरा करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि मुख्य संयंत्र और उपयोगिताओं की इमारतों को निवेश के हिस्से के रूप में माना जाएगा बशर्ते कि यह एक खंड के लिए परिभाषित न्यूनतम संचयी घरेलू निवेश के 10% से अधिक न हो।
- 2.20** प्रोत्साहन: प्रोत्साहन चयनित आवेदकों को प्रदान किया जाने वाला वित्तीय लाभ है।
- 2.21** विनिर्माण: केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम, 2017 के अनुसार, विनिर्माण का अर्थ कच्चे माल या इनपुट का किसी भी तरीके से प्रसंस्करण होगा, जिसके परिणामस्वरूप एक अलग नाम, चरित्र और उपयोग और "विनिर्माता" शब्द वाले नए उत्पाद का उदय होता है को "तदनुसार समझा जाएगा।
- 2.22** निव बिक्री: निवल बिक्री एक कंपनी की उसके रिटर्न, भत्ते और छूट को घटाकर सकल बिक्री का योग है।
- 2.23** नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी या उसकी समूह कंपनी (कंपनियां): नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी या उसकी समूह कंपनी (कंपनियों) को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया जाएगा, जिनके पास 31.03.2021 तक ऑटोमोबाइल या ऑटो घटकों के निर्माण से कोई राजस्व नहीं है।
- 2.24** परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए): आवेदनों की प्राप्ति और मूल्यांकन, पात्रता के सत्यापन और किसी भी विधि / दस्तावेज के माध्यम से संवितरण दावों की जांच के लिए और इन दिशानिर्देशों के अनुसार उपर्युक्त के प्रबंधन के लिए भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा नियुक्त वित्तीय संस्थान (संस्थानों) या किसी अन्य प्राधिकरण (प्राधिकरणों) को संदर्भित करता है।
- 2.25** सेमी-नॉकड डाउन यूनिट (एसकेडी): सेमी-नॉकड डाउन (एसकेडी) एक नॉक डाउन किट के रूप में एक वाहन है जिसमें इंजन, गियरबॉक्स, ट्रांसमिशन के साथ पूर्व-संयोजन की स्थिति में एक पूर्ण वाहन को असेंबल करने के लिए सभी आवश्यक भाग, सब-असेंबली होते हैं लेकिन चेसिस या बॉडी असेंबली पर नहीं लगाया गया है।
- 2.26** मूल्य वर्धन: "मूल्य संवर्धन" शब्द का अर्थ आपूर्ति श्रृंखला के उस निर्दिष्ट भाग में की जा रही विनिर्माण गतिविधि के प्रतिशत के रूप में लगाया जाएगा। % घरेलू मूल्यवर्धन = [(उत्पाद का एक्स-फैक्टरी मूल्य (जीएसटी का निवल) - (माइनस) आयात सामग्री यानी आयात शुल्क सहित अंतिम उत्पाद में सभी आयातित घटकों या सामग्री के एफओबी मूल्य का योग) / उत्पाद का एक्स-फैक्टरी मूल्य (जीएसटी का निवल)] x 100। इसे भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एजेंसी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।
- 2.27** वाहन समुच्चय: वाहन समुच्चय एक परिभाषित वाहन मॉडल के लिए विभिन्न घटकों का एक उप-संयोजन / संयोजन है जो वाहन को एक विशिष्ट कार्यक्षमता प्रदान करने के लिए संयुक्त होते हैं। एक वाहन के समुच्चय में आमतौर पर बॉडी शेल / चेसिस, इंजन, ट्रांसमिशन, सस्पेंशन, स्टीयरिंग सिस्टम, व्हील असेंबली, ब्रेक सिस्टम, सीट आदि शामिल होते हैं।
- 3.** योजना का कार्यकाल: योजना के तहत प्रोत्साहन वित्तीय वर्ष 2022-23 से शुरू होकर लागू होगा, जिसे अगले वित्तीय वर्ष यानी 2023-24 में वितरित किया जाएगा और इसी तरह कुल पांच (05) लगातार वित्तीय वर्षों के लिए किया जाएगा।
- 4.** पात्रता
- 4.1.** पात्रता: आवेदक कंपनी या उसकी समूह कंपनी (कंपनियों) को योजना के तहत अर्हता प्राप्त करने और लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित सामान्य मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता होगी:

मूल पात्रता मानदंड:

(क) कंपनी या उसके समूह की कंपनी (कंपनियों) के लिए जो भारत में या वैश्विक स्तर पर ऑटोमोटिव वाहन और घटकों के विनिर्माण व्यवसाय में मौजूद हैं:

पात्रता मापदंड	ऑटो ओईएम	ऑटो घटक
वैश्विक समूह* राजस्व (ऑटोमोटिव और/या ऑटो घटक विनिर्माण से)	न्यूनतम ₹10,000 करोड़।	न्यूनतम ₹500 करोड़।
निवेश	₹ 3,000 करोड़ की अचल संपत्तियों (सकल ब्लॉक) में कंपनी या उसके समूह* कंपनी (कंपनियों) का वैश्विक निवेश।	₹150 करोड़ की अचल संपत्तियों (सकल ब्लॉक) में कंपनी या उसके समूह* कंपनी का वैश्विक निवेश।

*समूह कंपनी(यों) का अर्थ दो या दो से अधिक उद्यम होंगे, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस स्थिति में हैं:

अन्य उद्यम में छद्म प्रतिशत या अधिक मतदान अधिकारों का प्रयोग करना;

या

अन्य उद्यम में निदेशक मंडल के पचास प्रतिशत से अधिक सदस्यों की नियुक्ति करना (जैसा कि 2020 के एफडीआई नीति परिपत्र में परिभाषित किया गया है)।

नोट:

- उपरोक्त पात्रता मानदंड 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर पूरा किया जाना है।
- एक आवेदक कंपनी या उसकी समूह कंपनी (कंपनियों) को योजना के तहत पात्र होने के लिए संपूर्ण पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा।

(ख) नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी या उसकी समूह कंपनी (कंपनियों) के लिए जो इस योजना में भाग लेना चाहती हैं:

पात्रता मापदंड	नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी या उसकी समूह कंपनी (कंपनियां) (जो वर्तमान में ऑटोमोबाइल या ऑटो घटक निर्माण व्यवसाय में नहीं हैं)
वैश्विक निवल मूल्य	31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर 1000 करोड़ रुपये।
पांच साल की अवधि में भारत में प्रतिबद्ध निवेश	नीचे दिए गए पैरा - 4.1 (सी) में उल्लिखित न्यूनतम नई घरेलू निवेश शर्तों के अनुसार

नोट :

- गैर-ऑटोमोटिव कंपनी या इसकी समूह कंपनी (कंपनियां) इस योजना के लिए अर्हता प्राप्त कर सकती हैं, बशर्ते वे भारत में निवेश करने और उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी वाहनों या उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी घटकों के निर्माण से राजस्व उत्पन्न करने के लिए एक स्पष्ट व्यवसाय योजना प्रस्तुत करें।
- आवेदक नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी या उसकी समूह कंपनी (कंपनियां) किसी विशेष वर्ष के लिए प्राप्त किए जाने वाले संचयी न्यूनतम नए घरेलू निवेश को पूरा करने के अधीन प्रोत्साहन का दावा करने के लिए पात्र होंगी। आवेदक को पहले वर्ष से निर्धारित न्यूनतम सीमा से वर्ष दर वर्ष वृद्धि मानदंड को भी पूरा करना होगा।

- iii. नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी या उसकी समूह कंपनी (कंपनियों) को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया जाएगा जिनके पास 31 मार्च 2021 तक ऑटोमोबाइल या ऑटोमोबाइल घटकों के निर्माण से कोई राजस्व नहीं है।
- iv. एक आवेदक नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी या उसकी समूह कंपनी (कंपनियों) को संपूर्ण पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा।

(ग) न्यूनतम नई घरेलू निवेश शर्तें:

कार्य-निष्पादन की संचयी नई घरेलू निवेश शर्त (₹. करोड़)

संचयी नया घरेलू निवेश हासिल किया जाना है	चैंपियन ओईएम (दुपहिया और तिपहिया को छोड़कर)	चैंपियन चैंपियन ओईएम दुपहिया और तिपहिया	घटक चैंपियन	नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक (ओईएम) कंपनी या उसकी समूह कंपनी (कंपनियां)	नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक (घटक) कंपनी या उसकी समूह कंपनी (कंपनियां)
31 मार्च 2023 तक या उससे पहले	300	150	40	300	80
31 मार्च 2024 तक या उससे पहले	800	400	100	800	200
31 मार्च 2025 तक या उससे पहले	1400	700	175	1400	350
31 मार्च 2026 तक या उससे पहले	1750	875	220	1750	440
31 मार्च 2027 तक या उससे पहले	2000	1000	250	2000	500

नोट :

- नया निवेश उसी कानूनी इकाई से किया जाना चाहिए जो प्रोत्साहन के लिए आवेदन कर रहा है।
- 1 अप्रैल 2021 से किए गए संचयी नए घरेलू निवेश पर इस शर्त के तहत विचार किया जाएगा।
- अनुमोदित कंपनी को प्रत्येक वर्ष के लिए संचयी निवेश शर्त को पूरा करना आवश्यक है।
- इस प्रक्रिया में, कोई भी अनुमोदित कंपनी योजना की समाप्ति से कुछ साल पहले निवेश की शर्त पूरी करती है; तो यह योजना की अन्य शर्तों को पूरा करने के अधीन योजना के पूरे कार्यकाल के दौरान प्रोत्साहन के लिए पात्र होगा।
- यदि अनुमोदित कंपनी किसी दिए गए वर्ष में संचयी घरेलू निवेश शर्त को पूरा करने में विफल रहती है, तो उसे उस वर्ष के लिए कोई प्रोत्साहन प्राप्त नहीं होगा। भले ही निर्धारित बिक्री मूल्य के लिए सीमा हासिल कर ली गई हो। हालाँकि, यह अभी भी अगले वर्षों में योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगा यदि यह उस वर्ष के लिए परिभाषित संचयी घरेलू निवेश शर्त को पूरा करता है।

(घ) योजना अवधि के दौरान अपने निवेश को फ्रंट लोड करने के लिए प्रतिबद्ध पात्र कंपनी या उसकी समूह कंपनी (कंपनियों) को वरीयता दी जाएगी। प्रस्तावित निवेश प्रतिबद्धता का मूल्यांकन निवेश के निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की गणना बैंक दर को छूट कारक के रूप में करते हुए किया जाएगा।

4.2. प्रोत्साहन के लिए पात्रता

4.2.1 स्वीकृत आवेदक योजना के तहत विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने के अधीन प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे, जैसा कि निर्धारित है।

4.2.2 न्यूनतम 50% घरेलू मूल्यवर्धन की आवश्यकता होगी। फेम-II योजना के समान चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम का पालन किया जाएगा। घरेलू मूल्यवर्धन के निर्धारण की पद्धति फेम योजना की तरह ही होगी। भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एजेंसी पात्र उत्पाद में घरेलू मूल्यवर्धन को प्रमाणित करेगी।

4.2.3 न्यूनतम 50% घरेलू मूल्यवर्धन के साथ पूर्व-अनुमोदित पात्र उत्पाद इस योजना के तहत प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे।

4.2.4 यह योजना केवल उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जैसे कि पात्र उन्नत ऑटोमोटिव उत्पाद घटक स्तर पर स्टैंडअलोन आधार पर या वाहन के साथ एकीकरण में वाहन पक्ष पर उचित मूल्य विभाजन के साथ। इसलिए, ऑटोमोटिव ओईएम कंपनी या नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी के रूप में एक अनुमोदित कानूनी इकाई इस शर्त के अधीन योजना के दोनों घटकों के तहत प्रोत्साहन का लाभ उठा सकती है कि किसी भी पात्र उत्पाद को योजना के तहत केवल एक बार प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रोत्साहन का कोई भी दोहरा दावा घटक स्तर और वाहन स्तर के तहत एक ही उत्पाद कानून के तहत लागू किसी भी अन्य कानूनी कार्रवाई के अलावा अकेले इस आधार पर शामिल कानूनी इकाई / संस्थाओं की अपात्रता का कारण बन सकता है।

4.2.5 चैंपियन ओईएम प्रोत्साहन योजना

4.2.5.1 ऑटोमोटिव ओईएम कंपनी या उसकी समूह कंपनी (कंपनियां) और नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी या उसकी समूह कंपनी (कंपनियां) योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

4.2.5.2 सभी खंडों के बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों पर प्रोत्साहन लागू होते हैं – दुपहिया वाहन, तिपहिया वाहन, यात्री वाहन, वाणिज्यिक वाहन, सैन्य उपयोग के लिए ट्रैक्टर और ऑटोमोबाइल और तकनीकी विकास के आधार पर भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य उन्नत मोटर वाहन प्रौद्योगिकी वाहन।

4.2.6. घटक चैंपियन प्रोत्साहन योजना

4.2.6.1 ऑटोमोटिव ओईएम कंपनी या इसकी ग्रुप कंपनी (कंपनियां), ऑटो-घटक विनिर्माण कंपनी या इसकी ग्रुप कंपनी (कंपनियां) और नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी या इसकी ग्रुप कंपनी (कंपनियां) इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

4.2.6.2 तकनीकी विकास के आधार पर भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रोत्साहन सभी वाहनों के पूर्व-अनुमोदित उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी घटकों, सीकेडी/एसकेडी किट, दुपहिया, तिपहिया, यात्री वाहनों, वाणिज्यिक वाहनों और सैन्य उपयोग के लिए ऑटोमोबाइल सहित ट्रैक्टरों और किसी भी अन्य उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी पर लागू होते हैं।

5. आवेदन

5.1. आवेदन आमंत्रित करने की सूचना के माध्यम से आवेदन प्राप्त करने की विंडो 60 दिनों की अवधि के लिए होगी।

आवेदक कंपनियों को वित्तीय और सहायक दस्तावेजों के साथ एक आवेदन जमा करना आवश्यक है।

नोट: योजना के दोनों घटकों के लिए पात्रता सत्यापित करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में निम्नलिखित शामिल होंगे, लेकिन यह सीमित नहीं होंगे:

- योजना के लिए आवेदन करने वाली कानूनी इकाई के साथ-साथ वैश्विक समूह की कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण (लाभ और हानि, बैलेंस शीट)।
- बेस लाइनिंग और प्रोत्साहन निर्धारण के लिए, आधार वर्ष में पात्र बिक्री मूल्य और 01.04.2021 से शुरू होने वाले घरेलू निवेश, यदि कोई हो, के लिए आवेदक को एक वैधानिक लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- दस्तावेजों का ऑडिट और सत्यापन एक सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा किया जाना चाहिए।

5.2 आवेदन पत्र: आवेदन के समय जमा किए जाने वाले सभी आवश्यक सहायक दस्तावेजों के विवरण के साथ आवेदन पत्र, नियत समय में भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

5.3 प्रत्येक आवेदन के लिए एक गैर-अदायगी पात्र आवेदन शुल्क देय होगा।

6. ऑनलाइन पोर्टल

- 6.1. सभी आवेदन पीएमए द्वारा अनुरक्षित एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा किए जाएंगे। यदि पोर्टल उपलब्ध नहीं है, तो आवेदन पीएमए को भौतिक रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
- 6.2. एक आवेदन को सफलतापूर्वक जमा करने पर, पीएमए योजना से संबंधित भविष्य के सभी संदर्भों के लिए आवेदक को एक अद्वितीय आवेदन आईडी जारी करेगा।
- 6.3. ऑनलाइन पोर्टल का यूआरएल भारी उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट पर यथासमय उपलब्ध कराया जाएगा।
- 6.4. योजना पारदर्शिता, स्वचालितता और प्रोत्साहनों के त्वरित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए डेटा संचालित होगी। डेटा को निर्बाध तरीके से कैप्चर किया जाएगा और संबंधित एचएस कोड का उपयोग करेगा।
- 6.5. उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पाद के अनुमोदन के लिए ऑनलाइन आवेदन, निगरानी और समीक्षा के लिए प्रावधान:
- 6.5.1 भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पाद की सूची के अनुसार भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एजेंसी द्वारा अपने उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पाद के अनुमोदन के लिए आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल में प्रावधान होगा।
- 6.5.2 परीक्षण एजेंसी 90 दिनों के भीतर उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पाद के अनुमोदन के लिए आवेदन पर अंतिम निर्णय लेगी।
- 6.5.3 आवेदनों के समय पर निपटान की निगरानी के लिए सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय स्तर पर मासिक समीक्षा की जाएगी।
- 6.6. संवितरण तंत्र में भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा अपनी एजेंसियों के माध्यम से उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी वाहनों और उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी घटकों के पूर्व-अनुमोदन को शामिल किया जाएगा जैसा कि फेम- II योजना में चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) के तहत किया जा रहा है। इसके बाद, डेटा संचालित प्रणाली में दावों के लिए डेटा प्रस्तुत करने के लिए ड्रॉप-डाउन मेनू होगा।
- 6.7. उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी वाहनों और उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी घटकों का पूर्व-अनुमोदन भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। पूर्व-अनुमोदन आवेदक द्वारा आवेदन की तिथि से 90 दिनों के भीतर किया जाएगा।
- 6.8. भारी उद्योग मंत्रालय पीएलआई योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल के उपयोग के लिए अलग से विस्तृत निर्देश जारी कर सकता है।

7. परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए)

- 7.1. यह योजना एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी जो सचिवीय, प्रबंधकीय और कार्यान्वयन सहायता प्रदान करने और समय-समय पर भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा सौंपे गए अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगी। इसके अलावा, पीएमए उपयुक्त चैनल के माध्यम से संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय को रिपोर्ट करेगा और एएस एंड एफए, एमएचआई के समग्र नियंत्रण में होगा और भारी उद्योग मंत्रालय में फेम-II योजना के तहत बनाए गए प्रशासनिक तंत्र के लिए अपने सभी निष्कर्षों/टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रस्तुत करेगा।
- 7.2. पीएमए अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगा:
- 7.2.1. आवेदनों की प्राप्ति, आवेदनों की परीक्षा और प्रसंस्करण और पावती जारी करना।
- 7.2.2. स्कीम के तहत प्राप्त और संसाधित आवेदनों की स्थिति के बारे में भारी उद्योग मंत्रालय को एक पाक्षिक विवरण प्रस्तुत करना।
- 7.2.3. स्कीम के तहत आवेदनों के अनुमोदन के लिए उपयुक्त चैनल के माध्यम से उचित सिफारिशें करना।
- 7.2.4. वितरण प्रोत्साहन के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए समय-सीमा का सत्यापन।
- 7.2.5. प्रोत्साहन वितरण के दावों की जांच और उचित चैनल के माध्यम से उचित सिफारिशें करना।

- 7.2.6. निर्धारित दस्तावेजों के साथ संवितरण दावों के सामंजस्य का सत्यापन।
- 7.2.7. सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित और अनुमोदित तिमाही समीक्षा रिपोर्टों और अन्य सूचना/दस्तावेजों के माध्यम से स्कीम की प्रगति और निष्पादन के संबंध में आंकड़ों का संकलन।
- 7.2.8. अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय को सचिवालय संबंधी और अन्य सहायता प्रदान करना।
- 7.2.9. विभिन्न स्कीम के तहत एक ही गतिविधि के कारण लेखांकन नीति में किसी भी परिवर्तन या लाभों के दोहराव से उत्पन्न किसी भी विवधीकरण पर नियंत्रण रखें।
- 7.3. पीएमए आवेदक से आवश्यक समझे जाने वाली अतिरिक्त जानकारी, विवरण और दस्तावेजों के लिए अनुरोध कर सकता है।

8. स्कीम के तहत अनुमोदन

- 8.1. पीएमए आवेदनों का प्रसंस्करण करेगा और स्कीम के तहत अनुमोदन के लिए उचित सिफारिशें करेगा।
- 8.2. स्कीम के तहत अनुमोदन के लिए उपयुक्त चैनल के माध्यम से पीएमए अनुशंसित आवेदनों पर विचार करेगा।
- 8.3. किसी भी दोहराव और कई समितियों के गठन से बचने के लिए, भारी उद्योग मंत्रालय में फेम-II के तहत बनाए गए प्रशासनिक तंत्र का उपयोग ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम के तहत अनुमोदन प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
- 8.4. सभी आवेदनों को आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि या मांगे गए स्पष्टीकरण यदि कोई हो, की प्राप्ति से दिनों 60के भीतर अंतिम रूप दिया जाएगा।
- 8.5. अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, पीएमए कार्य दिवसों 5के भीतर चयनित आवेदक को एक पत्र जारी करने की व्यवस्था करेगा, जो स्कीम के तहत अनुमोदन के बारे में सूचित करेगा।
- 8.6. यदि कोई चयनित आवेदक किसी भी स्तर पर अपात्र पाया जाता है, या यदि उसने स्कीम की अधिसूचनाओं, आदेशों, दिशानिर्देशों आदि का पालन नहीं किया है, तो ऐसे चयनित आवेदक के परिकल्पित प्रोत्साहन दावे को जप्त कर लिया जाएगा या ब्याज के साथ वसूल किया जाएगा, यदि पहले से भुगतान किया गया हो।
9. अनुमोदन के पश्चात: पीएमए आवेदकों की प्रगति की निगरानी करेगा।

10. प्रोत्साहन की गणना

- 10.1. प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए, अनुमोदित कंपनियों को इस योजना द्वारा संबंधित योजनाओं के तहत चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा यथा प्रमाणित अपने वार्षिक दावों को, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/सहायक दस्तावेजों के साथ और कोई अन्य दस्तावेज, जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है, अपलोड किए जाने की आवश्यकता होती है।
- 10.2. दावों की समीक्षा और मानदंडों तथा समय-सीमा को पूरा करने के सत्यापन के बाद वार्षिक भुगतान शुरू किया जाएगा।
- 10.3. चयनित आवेदक के लिए लागू प्रोत्साहन की गणना इस प्रकार की जाएगी-

10.3.1. चैंपिय ओईएम प्रोत्साहन स्कीम

- I. पात्र आवेदक स्कीम की अन्य शर्तों को पूरा करने के अधीन निर्धारित बिक्री मूल्य पर प्रोत्साहन (% लाभ) प्राप्त करने के हकदार होंगे।
- II. नई गैर ऑटोमोटिव-निवेशक कंपनी के लिए जो वर्तमान में ऑटोमोबाइल या ऑटो)घटक विनिर्माण व्यवसाय में नहीं हैं र वर्ष में पात्र बिक्री मूल्य शून्यआधा (के रूप में लिया जाएगा।
- III. प्रोत्साहन का दावा करने के लिए स्कीम के इस घटक के तहत मौजूदा ऑटोमोटिव और नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनियों जैसे सभी कंपनियों के संबंध में पहले वर्ष के लिए निर्धारित बिक्री मूल्य की सीमा 125 करोड़ रुपये है।

- IV. सभी अनुमोदित कंपनियों अर्थात् मौजूदा ऑटोमोटिव और नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनियों द्वारा वर्ष दर वर्ष (वाई ओ वाई) पहले वर्ष के निर्धारित बिक्री मूल्य में न्यूनतम 10% की वृद्धि यानी 125 करोड़ रुपये प्राप्त की जानी चाहिए, ताकि वे प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र हो सके।
- V. यदि अनुमोदित कंपनी पहले वर्ष में निर्धारित बिक्री मूल्य में वृद्धि की सीमा यानी 125 करोड़ रुपये की निर्धारित सीमा को पूरा करने में विफल रहती है, तो उसे उस वर्ष के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। तथापि, यह अभी भी अगले वर्ष में स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने की पात्र होगी यदि यह पहले वर्ष और उसके बाद लगातार 4 वर्षों के लिए जब से स्कीम के तहत प्रोत्साहन लागू हो जाता है (वित्त वर्ष 2022-23) के दौरान 10% की वर्ष दर वर्ष की वृद्धि के आधार पर गणना की गई उस विशेष वर्ष के लिए निर्धारित सीमा को पूरा करती है। यह प्रावधान सभी अनुमोदित कंपनियों जैसे मौजूदा ऑटोमोटिव और नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनियों को समान अवसर प्रदान करेगा और साथ ही उन अनुमोदित आवेदकों को संरक्षण प्रदान करेगा जिन्होंने स्कीम के बाद के वर्षों में बाजार की मांग शर्तों की विपरीत परिस्थितियों के प्रति अपने निवेश को फ्रंट लोड करना पसंद किया।
- VI. स्कीम की अवधि के दौरान 10,000 करोड़ रु. की निर्धारित बिक्री में लक्ष्य संचयी वृद्धि हासिल करने वाली अनुमोदित कंपनियों को 2% का अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा। यह अतिरिक्त 2% प्रोत्साहन निर्धारित बिक्री मूल्य में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की संचयी वृद्धि पर लागू है।
- VII. इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं को इस स्कीम के तहत प्रस्तावित प्रोत्साहन फेम II के तहत दिए गए प्रोत्साहनों से भिन्न होगा जहां वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है न कि विनिर्माताओं को। उन्नत रसायन प्रकोष्ठ (एसीसी) बैटरी वाले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इस स्कीम के तहत प्रोत्साहन का दावा किया जा सकता है जिसके लिए एसीसी के लिए पीएलआई स्कीम के तहत प्रोत्साहन का दावा किया गया है।
- VIII. चैंपियन ओईएम और नई गैर ऑटोमोटिव (ओईएम) निवेशक कंपनी के लिए प्रोत्साहन दर:

तालिका 1: चैंपियन ओईएम और नए गैर-ऑटोमोटिव (ओईएम) के लिए प्रोत्साहन दर

निर्धारित बिक्री मूल्य (करोड़ रु. में)	प्रोत्साहन (निर्धारित बिक्री मूल्य का प्रतिशत)
< = 2,000	13%
>2 ,3 से 000,000	14%
>3 ,4 से 000,000	15%
>4 ,000	16%
5 वर्षों में ₹10,000 करोड़ का संचयी निर्धारित बिक्री मूल्य	अतिरिक्त 2%

नोट:- i. केवल वे बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहनों के लिए पात्र होंगे जो फेम-II के निष्पादन मानदंडों या भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा समय समय पर-यथा अधिसूचित मानदंडों को पूरा करते हैं।

10.3.2. घटक चैंपियन प्रोत्साहन स्कीम

- I. पात्र आवेदक योजना की अन्य शर्तों को पूरा करने के अधीन उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी घटकों के निर्धारित बिक्री मूल्यों पर प्रोत्साहन (लाभ %) प्राप्त करने के हकदार होंगे।
- II. नए गैर ऑटोमोटिव-निवेशक कंपनी मान में ऑटोमोबाइल या ऑटोजो वर्त) घटक विनिर्माण व्यवसाय में नहीं हैं (के लिए भी आधार वर्ष में पात्र बिक्री मूल्य को शून्य के रूप में लिया जाएगा।

- III. प्रोत्साहन का दावा करने के लिए स्कीम के इस घटक के तहत मौजूदा ऑटोमोटिव और नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनियों जैसे सभी कंपनियों के संबंध में पहले वर्ष के लिए निर्धारित बिक्री मूल्य की सीमा 25 करोड़ रुपये है।
- IV. सभी अनुमोदित कंपनियों अर्थात् मौजूदा ऑटोमोटिव और नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनियों द्वारा वर्ष दर वर्ष (वाई ओ वाई) पहले वर्ष के निर्धारित बिक्री मूल्य में न्यूनतम 10% की वृद्धि यानी 25 करोड़ रुपये प्राप्त की जानी चाहिए, ताकि वे प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र हो सकें।
- V. यदि अनुमोदित कंपनी पहले वर्ष में निर्धारित बिक्री मूल्य में वृद्धि की सीमा यानी 25 करोड़ रुपये की निर्धारित सीमा को पूरा करने में विफल रहती है, तो उसे उस वर्ष के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। तथापि, यह अभी भी अगले वर्ष में स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने की पात्र होगी यदि यह पहले वर्ष और उसके बाद लगातार 4 वर्षों के लिए जब से स्कीम के तहत प्रोत्साहन लागू हो जाता है (वित्त वर्ष 2022-23) के दौरान 10% की वर्ष दर वर्ष की वृद्धि के आधार पर गणना की गई उस विशेष वर्ष के लिए निर्धारित सीमा को पूरा करती है। यह प्रावधान सभी अनुमोदित कंपनियों जैसे मौजूदा ऑटोमोटिव और नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनियों को समान अवसर प्रदान करेगा और साथ ही उन अनुमोदित आवेदकों को संरक्षण प्रदान करेगा जिन्होंने स्कीम के बाद के वर्षों में बाजार की मांग शर्तों की विपरीत परिस्थितियों के प्रति अपने निवेश को फ्रंट लोड करना पसंद किया।
- VI. स्कीम की अवधि में करोड़ 1250 रुपये के निर्धारित बिक्री मूल्य में लक्ष्य संचयी वृद्धि हासिल करने वाली कंपनियों को अतिरिक्त 2% प्रोत्साहन मिलेगा। यह 2% अतिरिक्त प्रोत्साहन 1250 करोड़ रुपये से अधिक निर्धारित बिक्री मूल्य में संचयी वृद्धि पर लागू होता है।
- VII. भावी प्रौद्योगिकी वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों (बीईवी) और हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों के घटकों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन भी प्रदान किया गया है।
- VIII. घटक चैंपियन प्रोत्साहन स्कीम के लिए प्रोत्साहन दर:

तालिका 2: घटक चैंपियन नई गैर-ऑटोमोटिव (घटक) निवेशक कंपनी के लिए प्रोत्साहन दर

निर्धारित बिक्री मूल्य (करोड़ रुपये में)	प्रोत्साहन (निर्धारित बिक्री मूल्य का प्रतिशत)
< = 250	8%*
>500 से 250	9%*
>750 से 500	10%*
>750	11%*
वर्षों में 5 1,250 करोड़ रुपये का संचयी निर्धारित बिक्री मूल्य।	अतिरिक्त 2%
बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन और हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन घटक	अतिरिक्त 5%

* आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाहन घटकों से संबंधित पात्र बिक्री के लिए पांचवें वर्ष में 0.9 के गुणक से गुणा किया गया।

नोट:-

- i. वार्षिक आधार पर, पात्र ऑटोमोटिव घटक चैंपियंस को दिशानिर्देशों में यथा परिभाषित भारत में उत्पादित बैटरीईवी और हाइड्रोजन ईंधन सेल- वाहन घटकों के लिए विशिष्ट घटकों के बिक्री मूल्य की रिपोर्ट का अलग से ब्यौरा देना होगा।

11. प्रोत्साहनों का वितरण

- 11.1.** स्कीम के तहत प्रोत्साहन का दावा करने के लिए, अनुमोदित आवेदको को प्रोत्साहन वितरण के लिए पीएमए को दावे प्रस्तुत करने होंगे। अनुमोदित आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि दावे सभी प्रकार से पूर्ण हों और मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ हों।
- 11.3** आवेदक केवल वार्षिक आधार पर प्रोत्साहन वितरण के लिए दावा प्रस्तुत कर सकता है, अर्थात् उक्त वित्तीय वर्ष की अप्रैल से मार्च की अवधि में की गई पात्र बिक्री और घरेलू निवेश के लिए।
- 11.4** प्रोत्साहन राशि के वितरण के लिए आवेदक द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत से 6 (छह) महीने के भीतर दावा प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे दावा संबंधित है।
- 11.5.** पीएमए आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए वितरण दावे की जांच करेगा। पीएमए विभिन्न स्कीम के तहत एक ही गतिविधि के कारण लेखांकन नीति में किसी भी परिवर्तन या लाभों के दोहराव से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवधीकरण पर नियंत्रण रखेगा। पीएमए इन दिशा-निर्देशों में निर्धारित विधि के आधार पर आवेदक को देय पात्रता का सत्यापन और मूल्यांकन करेगा और तदनुसार आवेदक को आवश्यक अनुमोदन पत्र जारी करने की व्यवस्था करेगा।
- 11.6.** पीएमए को प्रोत्साहन के लिए दावे के संबंध में किसी भी दस्तावेज (दस्तावेजों) को सत्यापित करने का अधिकार होगा, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों को प्रस्तुत किए गए सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाण पत्र और रिटर्न शामिल हैं। पीएमए को लेखा परीक्षक के प्रमाण पत्र, बैंक विवरण आदि के माध्यम से क्रमशः बिक्री और निवेश के अनुरूप अंतिम प्राप्ति और निपटान/भुगतानों की जांच करने का अधिकार भी होगा।
- 11.7.** पात्रता और देय प्रोत्साहन राशि के निर्धारण या अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन में किसी अन्य मामले के संबंध में किसी भी संदेह के संबंध में पीएमए स्पष्टीकरण के लिए ऐसे मामले को भारी उद्योग मंत्रालय को भेज सकता है।
- 11.8.** पीएमए ऐसे दावे (या मांगे गए स्पष्टीकरण की प्राप्ति, यदि कोई हो) की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर प्रोत्साहनों के वितरण के दावों का प्रसंस्करण करेगा और अपर सचिव और वित्त सलाहकार, भारी उद्योग मंत्रालय के समग्र नियंत्रण में उपयुक्त चैनल के माध्यम से संयुक्त सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय को उचित सिफारिशें करेगा।
- 11.9.** भारी उद्योग मंत्रालय उचित चैनल के माध्यम से पीएमए द्वारा जांच और अनुशंसित प्रोत्साहन के वितरण के दावों पर विचार और अनुमोदन करेगा।
- 11.10.** पीएमए आवेदक द्वारा वितरण पूर्व सभी औपचारिकताओं को पूरा करने और भारी उद्योग मंत्रालय से अनुमोदन के बाद धनराशि वितरित करने की व्यवस्था करेगा।
- 11.11.** प्रोत्साहनों का वितरण पीएमएएस के माध्यम से प्रत्यक्ष बैंक अंतरण के रूप में या केवल आवेदक के नाम पर समायोजन के किसी अन्य तंत्र के माध्यम से होगा।
- 11.12.** आवेदकों के लिए 31 दिसंबर तक, जिसके बाद दावा किया गया है पीएमए द्वारा निर्धारित दस्तावेजों के साथ निर्धारित बिक्री मूल्य का मिलान करना होगा।
- 11.13.** पीएमए उपरोक्त समायोजन का सत्यापन करेगा। अधिक दावों के संवितरण के मामले में, आवेदक प्रतिपूर्ति योग्य किसी भी प्रोत्साहन राशि की भारी उद्योग मंत्रालय को प्रतिपूर्ति करेगा, जिसमें ब्याज की गणना 3 साल की एसबीआई सीमांत लागत पर गणना की गई ब्याज दर (एमसीएलआर) के आधार पर की जाएगी, जो कि संवितरण की तारीख पर लागू होती है, जिसकी सालाना ब्याज दर चक्रवृद्धि होती है (आवेदक द्वारा अतिरिक्त भुगतान और प्रतिपूर्ति की तारीख के बीच की अवधि के लिए)।
- 11.14.** यदि पीएमए या भारी उद्योग मंत्रालय इस बात से संतुष्ट हैं कि योजना के तहत पात्रता और/या प्रोत्साहनों के वितरण संबंधी तथ्यों को गलत बयानी या जानकारी के मिथ्याकरण द्वारा प्राप्त किया गया है, तो भारी उद्योग

मंत्रालय आवेदक को आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के बाद संवितरण की तारीख पर प्रचलित 3 साल की एसबीआई सीमांत लागत पर गणना की गई ब्याज दर (एमसीएलआर) के साथ प्रोत्साहन राशि को वापस करने के लिए कहेगा। जिसकी सालाना ब्याज दर चक्रवृद्धि होती है।

- 11.15.** भारी उद्योग मंत्रालय स्कीम के तहत प्रोत्साहन के वितरण के लिए बजटीय प्रावधान करेगा। पीएमए तिमाही आधार पर समेकित राशि के रूप में भारी उद्योग मंत्रालय को बजटीय आवश्यकताएं प्रस्तुत करेगा।
- 11.16.** पीएमए तिमाही आधार पर प्रोत्साहनों के लिए प्राप्त संवितरण दावों, वितरित राशि, अस्वीकृति के कारणों और प्रोत्साहनों के वितरण में देरी के विवरण के साथ भारी उद्योग मंत्रालय को जानकारी प्रस्तुत करेगा।

12. समीक्षा

- 12.1.** स्कीम की प्रगति और निष्पादन के संबंध में ईजीओ द्वारा आवधिक समीक्षा की जाएगी।
- 12.2.** सभी अनुमोदित आवेदकों को वार्षिक आधार पर स्व प्रमाणित समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने-की आवश्यकता होगी।
- 12.3.** यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिशा निर्देशों-की समीक्षा और इनमें संशोधन किया जा सकता है।

13. अवशिष्ट

- 13.1.** अनुमोदित आवेदक कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी)के पास अद्यतन करने के बाद स्कीम के कार्यकाल के दौरान अंशधारिता पद्धति में किसी भी बदलाव के बारे में पीएमए को सूचित करेगा।
- 13.2.** स्कीम के कार्यकाल के दौरान एक आवेदक की अंशधारिता पद्धति में कोई भी परिवर्तन, जिससे ब्याज में बदलाव होता है, पीएमए द्वारा भारी उद्योग मंत्रालय के अनुमोदन हेतु प्रोत्साहन के वितरण पर विचार करने के लिए सूचित किया जाएगा।
- 13.3.** संबंधित पक्षों के साथ चयनित आवेदक द्वारा सभी लेनदेन प्रासंगिक पद्धतियों और लेखांकन मानकों-18 और संबंधित आईएनडी-एस के प्रावधानों के अधीन होंगे, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जाता है। किसी भी अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के मामले में संबंधित पक्षों के बीच लेनदेन में मूल्य निर्धारण का समायोजन करने के लिए प्रोत्साहन/पात्र सीमा निवेश की गणना पर जोर दिया जाएगा।
- 13.4.** वित्तीय मामलों में किसी भी कदाचार को समाप्त करने के लिए जहां सरकार द्वारा उद्योग को संवितरण किया जाता है, पारदर्शिता और समानता को बढ़ावा देने के लिए भ्रष्ट पद्धतियों के खिलाफ निवारक प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इसलिए, इस प्रक्रिया में शामिल संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए और खरीद के मामले में एक सत्यनिष्ठा समझौते को शामिल करने के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों से सबक लेते हुए, इस स्कीम के तहत आवेदकों से शपथ-पत्र प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है।
- 13.5.** यह शपथ-पत्र उन सभी आवेदकों द्वारा प्रदान किया जाएगा जिनके आवेदन या दावे प्रोत्साहनों के अनुमोदन या वितरण के लिए विचाराधीन हैं। जो आवेदक शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं, उनके आवेदनों या दावों पर कार्रवाई और विचार नहीं किया जाएगा। प्रोत्साहन राशि के वितरण के दावे प्रस्तुत करने के बाद और धनराशि जारी करने से पहले किसी भी स्थिति में सत्यनिष्ठा के अनुपालन की पृष्टि करने का शपथ-पत्र आवेदकों द्वारा प्रदान किया जाएगा। जब तक उपर्युक्त शपथ-पत्र प्रदान नहीं किया जाता तब तक प्रोत्साहनों की रिलीज रोक दी जाएगी।
- 14.** भारत में ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई)स्कीम के लिए दिशानिर्देश:- ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए पीएलआई स्कीम के लिए दिशा-निर्देश नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा अलग से अधिसूचित/प्रकाशित किए जाएंगे।

15. उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों की सूची (एमएचआई द्वारा समय-समय पर निर्धारित):

- i. उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी वाहनों की सूची-** भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा निम्नलिखित वाहनों को उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी वाहनों के रूप में निर्धारित किया गया है। तकनीकी विकास के आधार पर समय-समय पर भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा सूची में संशोधन किया जा सकता है।

क्रम सं.	विवरण
1	बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन- सभी वाहन खंड जो फेम-II योजना के निष्पादन या भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित मानदंडों को पूरा करते हैं।
2	हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन-सभी वाहन खंड

ii. भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा इस अवधि के दौरान उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी घटकों की सूची अलग से अधिसूचित की जाएगी।

[फा.सं. 12(11)/2020-एईआई (21370)]

अमित मेहता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2021

SUBJECT: GUIDELINES FOR THE PRODUCTION LINKED INCENTIVE (PLI) SCHEME FOR AUTOMOBILE AND AUTO COMPONENT INDUSTRY

S.O. 3947(E).—1. Background

- 1.1 The Production Linked Incentive (PLI) scheme for Automobile and Auto components (herein after referred to as “Scheme”) has been notified vide notification S.O. No. 3946(E) dated 23.09.2021.
- 1.2 In pursuance of Para – 7 of said notification and for the effective operation and smooth implementation of the Scheme, the following guidelines are being laid down that are to be read along with the scheme. In case of any inconsistency between the scheme and the guidelines, the provisions of the scheme shall prevail.
- 1.3 The automotive industry is a major economic contributor in India. The sector is responsible for ~ 35% of India’s manufacturing GDP and has been a key growth driver for the economy. Today, many component makers are Tier 1 suppliers to global auto OEMs and several India-manufactured motor vehicles make their way to international markets. This demonstrates that the Indian automotive sector has been an adopter of global technological changes and other global standards.
- 1.4 The Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Automobile and Auto components proposes financial incentives to boost domestic manufacturing of Advanced Automotive Technology products and attract investments in the automotive manufacturing value chain. Its prime objectives include overcoming cost disabilities, creating economies of scale and building a robust supply chain in areas of Advanced Automotive Technology products. It will also generate employment. This scheme will facilitate the Automobile Industry to move up the value chain into higher value added products.
- 1.5 These guidelines are being issued for effective and smooth implementation of the Scheme. These guidelines cover, inter alia, the following:
 - Definitions
 - Tenure
 - Eligibility
 - Application and Online Portal
 - Project Management Agency (PMA) and Empowered Committee (EC)
 - Approval under the Scheme
 - Calculation and disbursement of incentive

2. Definitions

- 2.1. Applicant:** An applicant for the purpose of the Scheme should be a company or its Group Company(ies) incorporated under The Companies Act in India, engaged in automotive and/or auto component manufacturing sector or **New Non-Automotive Investor company or its Group Company(ies) (who are currently not in automobile or auto component manufacturing business) meeting the eligibility criteria specified under the scheme** and making an application for seeking approval under the Scheme.
- 2.2. Application:** Application submitted by an applicant to the Ministry of Heavy Industries (MHI) as per the Application Form prescribed under these guidelines containing requisite information, along with supporting documents and application fee. The Application Form shall be notified separately in due course of time.
- 2.3. Application Approval Date:** The date on which approval letter under the Scheme is issued by the MHI.
- 2.4. Application Window:** Applications will be invited within 60 days of notification of this scheme. The window for receiving applications through the Notice Inviting Applications will be for a period of 60 days.
- 2.5. Approved Applicant/Company:** The eligible company or its Group company(ies) who has been approved by MHI under the Scheme.
- 2.6. Automotive OEM:** The original manufacturer of a vehicle, including tractor and automobile meant for military use and/or vehicle aggregates.
- 2.7. Base Year:** Financial Year 2019-20 for calculation of eligible sales value (not applicable for New Non-Automotive investors).
- 2.8. Completely Built-in Unit (CBU):** This is a vehicle that is in a completely assembled form.
- 2.9. Completely Knocked Down (CKD):** A vehicle as a Completely Knocked Down(CKD) kit containing all the necessary parts for assembling a complete vehicle with chasis, engine, gearbox, transmission mechanism not in a pre-assembled condition.
- 2.10. Eligible Product:**
- i. Pre-approved Advanced Automotive Technology Vehicles and pre-approved Advanced Automotive Technology Components of all vehicles, CKD/SKD kits, Vehicle aggregates of 2-Wheelers, 3-Wheelers, passenger vehicles, commercial vehicles and tractors including automobile meant for military use.
 - ii. The list of Advanced Automotive Technology Vehicles and Advanced Automotive Technology Components will be prescribed and can be amended by MHI from time to time depending upon technological developments.
- 2.11. Eligible Sales Value and Determined Sales Value under the Scheme:**
- I. **Eligible Sales Value for Vehicle Segment:** Total sales (Net of GST) for eligible vehicles.
 - II. **Eligible Sales Value for Component Segment:** Total sales (Net of GST) for eligible components **Or** apportioned value of eligible component as determined by Testing Agency of MHI.
 - III. **Determined Sales Value for Vehicle Segment:** (Eligible Sales Value for Vehicle Segment for a particular year) minus (Eligible Sales Value for Vehicle Segment for Base year).
 - IV. **Determined Sales Value for Component Segment :**(Eligible Sales Value for Component Segment for a particular year) minus (Eligible Sales Value for Component Segment for Base year).
- 2.12. Empowered Group of Secretaries (EGoS):**As approved by the Cabinet on 11th November 2020, the Empowered Group of Secretaries (EGoS) chaired by Cabinet Secretary (constituted by the

Cabinet vide Gazette notification dated 10.06.2020) will monitor the PLI scheme, undertake periodic review of the outgo under the scheme, ensure uniformity of all PLI Schemes and take appropriate action to ensure that the expenditure is within the prescribed outlay. In addition, any changes required in the modalities of the scheme mentioned in the Draft Cabinet Note, subject to the condition that the overall financial outlay remains within ₹ 25,938crore, will be placed for consideration of EGoS.

2.13 Financial Year: Financial Year begins on the 1st April of a year and ends on 31st March of the following year.

2.14 Fixed Assets: Fixed asset is an asset held with the intention of being used for the purpose of producing or providing goods or services and is not held for sale in the normal course of business e.g., Property, plant and equipment etc.

2.15 Force Majeure: Extraordinary events or circumstances beyond human control, such as event described as an act of God (like a natural calamity) or events such as a war, strike, public health emergency, riots, crimes (but not including negligence or wrong-doing, predictable/ seasonal rain and any other events specifically excluded).

2.16 Global Group Revenue: Total revenue of the group companies from global operations (from automotive and auto component manufacturing in a given year).

2.17 Group Companies²: Group Company(ies) shall mean two or more enterprises which, directly or indirectly, are in a position to:

Exercise twenty-six percent or more of Voting rights in the other enterprise;

Or

Appoint more than fifty percent of members of Board of Directors in the other enterprise (As defined in the FDI Policy Circular of 2020).

2.18 Global Net Worth: It refers to the Gross Net worth of a company or its Group company(ies) from all operations i.e. Domestic as well as Foreign, of all assets (Domestic plus Foreign) less all liabilities (Domestic plus Foreign).

2.19 Investment- “Investment” as mentioned in Para -3.2(c) of the scheme shall mean:

2.19.1 Expenditure incurred on Plant, Machinery, Equipment and Associated Utilities: This shall include expenditure on plant, machinery, equipment and associated utilities as well as tools, dies, moulds, jigs, fixtures (including parts, accessories, components and spares thereof) of the same, used in the design, manufacturing, assembly, testing, packaging or processing of any of the eligible products under the scheme. It shall also include expenditure on packaging, freight/transport, insurance, and erection and commissioning of the plant, machinery, equipment, and associated utilities. Associated utilities would include captive power and effluent treatment plants, essential equipments required in operations area such as clean rooms, air curtains, temperature and air quality control systems, compressed air, water and power supply, and control systems. Associated utilities would also include IT and ITES infrastructure related to manufacturing including servers, softwares, and ERP solutions. All non-creditable taxes and duties would also be included in such expenditure.

2.19.2 Expenditure incurred on Land and Building: The expenditure incurred on land will not be considered for meeting the threshold criteria of Cumulative Minimum Domestic Investment. However, buildings of the main plant and utilities will be considered as part of the investment provided it does not exceed 10% of Minimum Cumulative Domestic Investment defined for a segment.

2.20 Incentive: Incentive is the financial benefit to be provided to the selected applicants.

2.21 Manufacturing: In accordance with Central Goods and Services Tax (CGST) Act,2017, manufacturing shall mean processing of raw material or inputs in any manner that results in

² FDI policy circular, 2020

emergence of a new product having a distinct name, character and use and the term “manufacturer” shall be construed accordingly.

- 2.22 Net Sales:** Net sales are the sum of a company’s gross sales minus its returns, allowances, and discounts.
- 2.23 New Non-Automotive Investor company or its Group company(ies):** New Non-Automotive Investor company or its Group company(ies) will be defined as those who have no revenue from manufacturing of Automobile or auto components as on 31.03.2021.
- 2.24 Project Management Agency (PMA):** Refers to the financial institution(s) or any other authority(ies) appointed by MHI to act on its behalf for receipt and appraisal of applications, verification of eligibility and examination of disbursement claims through any method / document deemed appropriate and for managing the above-mentioned in accordance with these guidelines.
- 2.25 Semi-Knocked down Unit (SKD):** Semi-Knocked Down (SKD) is a vehicle as a knocked down kit containing all the necessary parts, sub-assemblies for assembling a complete vehicle with engine, gearbox, transmission in pre-assembled condition but not mounted on a chassis or a body assembly.
- 2.26 Value Addition:** The term “Value addition” will be construed as the percentage of manufacturing activity being undertaken in that referred part of the supply chain. % domestic value addition= [(Ex-factory price of the product (net of GST) – (minus) Import content i.e. sum of FOB value of all imported components or materials in the final product including import duties) / Ex-factory price of the product (net of GST)] x 100. It will be certified by Testing agency of MHI.
- 2.27 Vehicle Aggregates:** Vehicle aggregate is a sub-assembly / combination of different components for a defined vehicle model that are combined to provide a specific functionality to the vehicle. Aggregates of a vehicle typically include body shell / chassis, engine, transmission, suspension, steering systems, wheel assemblies, brake systems, seats etc.
- 3. Tenure of the Scheme:** Incentive under the scheme will be applicable, starting from the Financial Year 2022-23 which will be disbursed in the following Financial Year i.e. 2023-24 and so on for a total of five (05) consecutive Financial Years.

4. Eligibility

- 4.1. Eligibility:** The applicant company or its Group company(ies) will need to meet the following common criteria to qualify and receive benefits under the Scheme:

Basic Eligibility Criteria:

- (a) For company or its Group company(ies) with existing presence in India or globally in the Automotive vehicle and components manufacturing business:

Eligibility Criteria	Auto OEM	Auto-Component
Global group* Revenue (from automotive and/or auto component manufacturing)	Minimum ₹ 10,000 crore.	Minimum ₹ 500 crore.
Investment	Global Investment of Company or its Group* Company(ies) in fixed assets (gross block) of ₹ 3,000 crore.	Global Investment of Company or its Group* Company(ies) in fixed assets (gross block) of ₹150 crore.

**Group Company(ies) shall mean two or more enterprises which, directly or indirectly, are in a position to:*

Exercise twenty-six percent or more of voting rights in the other enterprise;

Or

Appoint more than fifty percent of members of Board of Directors in the other enterprise (As defined in the FDI Policy Circular of 2020).

Note: i. Above Eligibility criteria to be met based on audited financial statements for year ending March 31, 2021.

ii. An applicant company or its Group company(ies) must satisfy the entire eligibility criteria to be eligible under the scheme.

(b) For new non-automotive investor company or its Group company(ies) that may want to participate in this scheme:

Eligibility Criteria	New Non-Automotive investor company or its Group company(ies) (who are currently not in automobile or auto component manufacturing business)
Global net worth	₹ 1000crorebased on audited financial statements for year ending March 31, 2021.
Committed investment in India over five year period	As per Minimum New Domestic Investment Conditions mentioned in para – 4.1(c) below.

Note :

- i. Non-Automotive company or its Group company(ies) can qualify for this scheme provided they present a clear business plan to invest in India and generate revenues from Advanced Automotive Technology vehicles or Advanced Automotive Technology components manufacturing.
- ii. The applicant new Non-Automotive Investor company or its Group company(ies) will be eligible to claim incentive subject to meeting cumulative minimum new domestic investment to be achieved for a particular year. The applicant will also have to meet the % Year on Year growth criteria from the minimum threshold fixed from the first year.
- iii. New Non-Automotive Investor company or its Group company(ies) will be defined as those who have no revenue from manufacturing of Automobile or automobile components as on 31st March 2021.
- iv. An applicant new Non-Automotive Investor company or its Group company(ies) must satisfy the entire eligibility criteria.

(c) **Minimum New Domestic Investment Conditions:**

Cumulative New Domestic Investment Condition of Performance (₹.Crore)

Cumulative new domestic investment to be achieved	Champion OEM (Except 2W & 3W)	Champion OEM 2W & 3W	Component Champion	New Non-Automotive investor(OEM)company or its Group company(ies)	New Non-Automotive investor (Component)company or its Group company(ies)
Upto or before March 31, 2023	300	150	40	300	80
Upto or before March 31, 2024	800	400	100	800	200
Upto or before	1400	700	175	1400	350

March 31, 2025					
Upto or before March 31, 2026	1750	875	220	1750	440
Upto or before March 31, 2027	2000	1000	250	2000	500

Note :

- i. New investments should be made from the same legal entity as the one applying for the incentive.
 - ii. Cumulative new domestic investment made starting 1st April 2021 shall be considered under this condition.
 - iii. The approved Company is required to meet the cumulative investment condition for each year.
 - iv. In the event, any approved company meets the investment condition few years before the end of the scheme; it will be eligible for incentives throughout the tenure of the scheme subject to meeting other conditions of the scheme.
 - v. In case the approved company fails to meet the cumulative domestic investment condition in any given year, it will not receive any incentive for that year even if the threshold for Determined sales value is achieved. However, it will still be eligible to receive the benefits under the scheme in the following years if it meets the cumulative domestic investment condition defined for that year.
- (d) Preference will be given to eligible company or its Group company(ies) committing to front load their investment during the scheme period. Proposed investment commitment will be evaluated by calculating the Net Present Value (NPV) of the investment using the bank rate as the discounting factor.

4.2. Eligibility for incentive

4.2.1 Approved Applicants would be eligible for incentives subject to meeting specific criteria under the scheme, as prescribed.

4.2.2 Minimum 50% domestic value addition will be required. Phased Manufacturing Programme similar to FAME-II Scheme will be followed. Methodology of determination of domestic value addition will be same as in FAME scheme. Testing Agency of MHI will certify domestic value addition in the eligible product.

4.2.3 Pre-approved eligible product with minimum 50% domestic value addition will be eligible for incentive under this scheme.

4.2.4 The scheme is designed to incentivize Advanced Automotive Technology products only viz eligible Advanced Automotive product on standalone basis at component level or in integration with the vehicle having appropriate value apportionment on the vehicle side. Therefore, an approved legal entity as Automotive OEM company or New Non-Automotive Investor company can avail incentives under both components of the scheme subject to the condition that any eligible product shall be incentivized only once under the scheme. Any double claim of incentive for the same product under component level and vehicle level can lead to disqualification of the legal entity/entities involved on this ground alone in addition to any other legal action as applicable under the law.

4.2.5 Champion OEM Incentive Scheme

4.2.5.1 Automotive OEM company or its Group company(ies) and new Non-Automotive investor company or its Group company(ies) are eligible to apply for the scheme.

4.2.5.2 Incentives are applicable on Battery Electric Vehicles and Hydrogen Fuel Cell Vehicles of all segments – 2 wheelers, 3 wheelers, passenger vehicles, commercial vehicles, Tractors and

automobile meant for Military use and any other Advanced Automotive Technology vehicle prescribed by MHI depending upon technical developments.

4.2.6. Component Champion Incentive Scheme

4.2.6.1 Automotive OEM company or its Group company(ies), Auto-component manufacturing company or its Group company(ies) and new Non-Automotive Investor company or its Group company(ies) are eligible to apply for the scheme.

4.2.6.2 Incentives are applicable on pre-approved Advanced Automotive Technology components of all vehicles, CKD/SKD kits, Vehicle aggregates of 2-Wheelers, 3-Wheelers, passenger vehicles, commercial vehicles and tractors including automobile meant for military use and any other Advanced Automotive Technology component prescribed by MHI depending upon technical developments.

5. Application

5.1. The window for receiving applications through the Notice Inviting Applications will be for a period of 60 days.

The applicant companies are required to submit an application along with financial & supporting documents.

Note: Documents required for verifying eligibility for both the components of the scheme will include, but not be limited, to the following:

- Audited financial statements (Profit & loss, balance sheet) of the legal entity applying for the scheme as well as that of the global group company.
- For base lining and establishing incentives, eligible sales value in the base year and domestic investment made starting from 01.04.2021, if any, the applicant needs to furnish a statutory auditor's certificate.
- The documents should be audited and validated by a statutory auditor.

5.2 The Application Form: The Application Form along with details of all necessary supporting documents, to be submitted at the time of application, will be notified separately by Ministry of Heavy Industries (MHI) in due course of time.

5.3 A non-refundable application fee would be payable for each application.

6. Online Portal

6.1. All applications will be submitted through an online portal maintained by the PMA. In case the portal is not available, applications may be submitted in physical form to the PMA.

6.2. Upon successful submission of an application, PMA will issue a unique Application ID to the applicant for all future references pertaining to the Scheme.

6.3. URL of the online portal will be made available on the website of the MHI, in due course.

6.4 The scheme will be data driven to ensure transparency, automaticity and prompt disbursement of incentives. The data will be captured in seamless manner and will make use of respective HS codes.

6.5 Provision for Online Application, Monitoring and Review for Approval of Advanced Automotive Technology product:

6.5.1 There will be provision in the Online Portal for making online application by the applicants for approval of their Advanced Automotive Technology product by the Testing Agency of MHI as per the list of Advanced Automotive Technology product prescribed by MHI from time to time.

6.5.2 Testing Agency will take final decision on the application for Approval of Advanced Automotive Technology product within 90 days.

- 6.5.3** Monthly review will be done at Secretary, MHI level for monitoring of timely disposal of the applications.
- 6.6** The disbursement mechanism will incorporate pre-approval of Advanced Automotive Technology vehicles & Advanced Automotive Technology components by MHI through its agencies as is being done under Phased Manufacturing Programme (PMP) in FAME-II scheme. Subsequently, there would be drop-down menu for submission of data for claims in the data driven system.
- 6.7** Pre-approval of Advanced Automotive Technology vehicles & Advanced Automotive Technology components will be done by Testing Agencies of MHI. Pre-approval will be done within 90 days from the date of application by the applicant.
- 6.8** MHI may separately issue detailed instructions for the use of online portal for the PLI scheme.

7. Project Management Agency (PMA)

- 7.1.** The Scheme will be implemented through a Project Management Agency (PMA) which will be responsible for providing secretarial, managerial and implementation support and carrying out other responsibilities as assigned by MHI from time to time. Further, PMA will report to JS, MHI through the appropriate channel and will be under the overall control of AS&FA, MHI and will put up their all findings/observations/recommendations to the Administrative Mechanism created under FAME-II scheme in MHI.
- 7.2.** The PMA shall be responsible, inter alia, for:
- 7.2.1.** Receipt of applications, examination and processing of applications and issuing acknowledgements.
- 7.2.2.** Submission of a fortnightly statement to MHI about the status of applications received and processed under the Scheme.
- 7.2.3.** Making appropriate recommendations through appropriate channel for approval of applications under the Scheme.
- 7.2.4.** Verification of thresholds for determining eligibility for disbursement incentive.
- 7.2.5.** Examination of claims for disbursement of incentive and making appropriate recommendations through appropriate channel.
- 7.2.6.** Verification of the reconciliation of disbursement claims with prescribed documents.
- 7.2.7.** Compilation of data regarding progress and performance of the Scheme through Quarterly Review Reports and other information /documents, as required and approved by the competent authority.
- 7.2.8.** Providing secretarial and other support to MHI for carrying out its responsibilities.
- 7.2.9** Keep a check on any diversion arising out of any change in accounting policy or duplication of benefits on account of same activity under different schemes.
- 7.3.** The PMA may request for additional information, details and documents from the applicant as deemed necessary.

8. Approval under the Scheme

- 8.1.** The PMA will process the applications and make appropriate recommendations for approvals under the Scheme.
- 8.2.** MHI will consider applications, as recommended by PMA through appropriate channel, for approval under the Scheme.
- 8.3** To avoid any duplication and formation of multiple committees, the Administrative Mechanism created under FAME-II scheme in MHI will be used for granting approvals under Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Automobile and Auto components.

- 8.4. All the applications will be finalized within 60 days from the date of submission of applications or receipt of clarification sought, if any.
- 8.5. After receiving approval, the PMA will arrange to issue a letter to the selected applicant within 5 working days, communicating approval under the Scheme.
- 8.6. If a selected applicant is found to be ineligible at any stage, or if it has not complied with notifications, orders, guidelines etc. of the Scheme, the envisaged incentive claim of such selected applicant shall be forfeited or recovered with interest, if already paid.

9. **Post Approval:** PMA shall monitor the progress of the applicants.

10. Calculation of Incentive

- 10.1 In order to receive the incentives, the approved companies need to upload their annual claims under the scheme, along with audited financial statements / supporting documents, as certified by a Chartered Accountant and any other document, as specified.
- 10.2. Annual payment to be initiated after review of claims and verification of meeting the criteria and thresholds.
- 10.3. The incentive applicable for the approved applicant shall be computed as follows:

10.3.1 Champion OEM incentive scheme

- I. The approved applicants will be entitled to receive incentives (% benefit) on Determined Sales Value subject to meeting other conditions of the scheme.
- II. For the approved New Non-Automotive Investor company (who is currently not in automobile or auto component manufacturing business) eligible sales value in the base year will be taken as zero.
- III. Threshold Determined Sales Value for the first year is ₹125 crore in respect of all companies viz. existing Automotive and New Non-Automotive Investor companies under this component of the scheme to claim incentive.
- IV. Year on Year (YoY) growth of minimum 10% in Determined Sales Value of first year i.e ₹125 crore has to be achieved by all approved companies viz. existing Automotive and New Non-Automotive Investor companies, to become eligible to receive incentive.
- V. In case the approved company fails to meet the threshold for increase in Determined Sales Value over the threshold for the first year i.e ₹125 crore, for any given year, it will not receive any incentive for that year. However, it will still be eligible to receive the benefits under the scheme in the next year if it meets the threshold for that particular year calculated on the basis of 10% YoY growth over the threshold for the first year and thereafter for 4 consecutive years from when the incentive under the scheme becomes applicable (FY 2022-23). This provision will provide level playing field to all approved companies viz. existing Automotive and New Non-Automotive Investor companies as well as safeguard the approved applicants who preferred to front load their investment, against adversities of the market demand conditions in subsequent years of the scheme.
- VI. The approved Companies that achieve a target cumulative increase in Determined sales of ₹ 10,000 crore across the duration of the scheme will receive an additional incentive of 2%. This additional 2% incentive is applicable on the cumulative increase in Determined Sales Value in excess of ₹ 10,000 crore.
- VII. Incentive proposed under this scheme to electric vehicle manufacturers will be independent of the incentives given under FAME II scheme where incentives are provided to customers who buy the vehicles and not to the manufacturers. Incentives can be claimed under this scheme for Battery Electric vehicles having Advanced Chemistry Cell (ACC) batteries for which incentives have been claimed under the PLI scheme for ACC.
- VIII. Incentive Slabs for Champion OEM and New Non-Automotive (OEM) Investor company:

**Table 1: Incentive Slabs for Champion OEM and New Non-Automotive (OEM)
Investor Company**

Determined Sales Value (in ₹ Crore)	Incentives (%age of Determined Sales Value)
<= 2,000	13%
> 2,000 to 3,000	14%
> 3,000 to 4,000	15%
> 4,000	16%
Cumulative Determined Sales Value of ₹10,000 Crores over 5 years	Additional 2%

Note: - i. Only those Battery Electric Vehicles will be eligible for incentives which meet the performance criteria of FAME-II scheme or as notified from time to time by MHI.

10.3.2 Component Champion incentive scheme

- I. The Approved applicants will be entitled to receive incentives (% benefit) on the Determined Sales Values of Advanced Automotive Technology components subject to meeting other conditions of the scheme.
- II. For the approved New Non-Automotive Investor company (who is currently not in automobile or auto component manufacturing business) eligible sales value in the base year will be taken as zero.
- III. Threshold Determined Sales Value for the first year is ₹ 25 crore in respect of all companies viz. existing Automotive and New Non-Automotive Investor companies under this component of the scheme to claim incentive.
- IV. Year on Year (YoY) growth of minimum 10% in Determined Sales Value of the first year i.e. ₹ 25 crore has to be achieved by all approved companies viz. existing Automotive and New Non-Automotive Investor companies on ₹25 crore, to become eligible to receive incentive.
- V. In case the approved company fails to meet the threshold for increase in Determined Sales Value over the threshold for the first year i.e ₹ 25 crore, for any given year, it will not receive any incentive for that year. However, it will still be eligible to receive the benefits under the scheme in the next year if it meets the threshold for that particular year calculated on the basis of 10% YoY growth over the threshold for the first year and thereafter for 4 consecutive years from when the incentive under the scheme becomes applicable (FY 2022-23). This provision will provide level playing field to all approved companies viz. existing Automotive and New Non-Automotive Investor companies as well as safeguard the approved applicants who preferred to front load their investment, against adversities of the market demand conditions in subsequent years of the scheme.
- VI. The approved Companies that achieve a target cumulative increase in Determined Sales Value of ₹ 1250 crore across the duration of the scheme will receive an additional 2% incentive. This 2% additional incentive is applicable on the cumulative increase in Determined Sales Value in excess of ₹ 1250 crore.
- VII. Additional incentive has also been provided for components of Battery Electric Vehicles (BEV) and Hydrogen fuel cell vehicles in order to promote future technology vehicles.

VIII. Incentive slab for Component Champion Incentive Scheme:

Table 2 : Incentive slab for Component Champion and New Non-Automotive (Component)**Investor company**

Determined Sales Value (in ₹ Crore)	Incentives (%age of Determined Sales Value)
<= 250	8%*
> 250 to 500	9%*
> 500 to 750	10%*
> 750	11%*
Cumulative Determined Sales Value of ₹1,250 Crore over 5 years.	Additional 2%
Battery Electric vehicles & Hydrogen fuel cell vehicles components	Additional 5%

***Multiplied by a factor of 0.9 in the fifth year for eligible sales relating to Internal Combustion Engine (ICE) vehicle components.**

Note: - i. On an annual basis, the approved component Champions will have to separately report break up of sales value of components specific to Battery-EV and Hydrogen fuel Cell vehicle produced in India as defined in the guidelines.

11. Disbursement of Incentives

- 11.1.** For claiming incentive under the Scheme, the approved applicants will be required to submit claims for disbursement of incentive to the PMA. The approved applicant must ensure that the claims are complete in all respects and are accompanied by all the required documents, as per the format approved by the Ministry.
- 11.3** The approved applicant may submit a claim for disbursement of incentive only on an annual basis, that is, for the eligible sales made and domestic investment done in the period of April to March, of the said financial year.
- 11.4** Claim for disbursement of incentive shall be filed by the approved applicant within 6 (six) months from the end of the financial year to which the claim pertains.
- 11.5.** The PMA will examine the disbursement claim as submitted by an approved applicant. The PMA will keep a check on any diversions arising out of any change in accounting policy or duplication of benefits on account of same activity under different Schemes. The PMA shall verify eligibility and assess incentive payable to an approved applicant based on the method laid down in these guidelines and arrange to issue the approval letter after necessary approvals, to the applicant accordingly.
- 11.6.** The PMA will have the right to verify any document(s) in relation to the claim for incentive, including, but not limited to, statutory auditor certificates and returns furnished to various Ministries / Departments / Agencies. The PMA shall also have the right to examine the end realization and settlement / payments corresponding to sales and investment, respectively, by way of auditor's certificate, bank statements etc. to the extent deemed necessary.

- 11.7.** In case of any doubt with respect to determining eligibility and incentive amount due, or any other matter in discharge of its duties and responsibilities, the PMA may refer such matter to MHI for clarification.
- 11.8.** The PMA shall process claims for disbursement of incentives within 60 days from the date of receipt of such claim (or receipt of clarification sought, if any) and make appropriate recommendations to the Joint Secretary, MHI through appropriate channel under the overall control of AS&FA, MHI.
- 11.9.** MHI will consider and approve claims for disbursement of incentive, as examined and recommended by the PMA through appropriate channel.
- 11.10.** The PMA shall arrange to disburse funds after completion of all pre-disbursal formalities by the applicant and approval from MHI.
- 11.11.** The disbursement of incentives will be in the form of Direct Bank Transfer through PFMS or through any other mechanism of adjustment in the name of the applicant only.
- 11.12.** The approved applicants shall be required to reconcile Domestic Investment and Determined Sale Value with documents as prescribed by the PMA, by 31st of December of the financial year subsequent to which the claim pertains.
- 11.13.** The PMA shall verify the aforesaid reconciliation. In case of excess claims disbursed, the approved applicant shall reimburse MHI for any incentive amount refundable, along with interest calculated at 3 years' SBI Marginal cost of funds-based lending rate (MCLR) prevailing on the date of disbursement, compounded annually (for the period between excess payment and date of refund by the applicant).
- 11.14.** If the PMA or MHI is satisfied that eligibility under the Scheme and / or disbursement of incentives have been obtained by misrepresentation of facts or falsification of information, MHI will ask the approved applicant to refund the incentives, along with interest calculated at 3 years SBI Marginal cost of funds-based lending rate (MCLR) prevailing on date of disbursement, compounded annually, after giving an opportunity to the applicant of being heard. This is without prejudice to any other action that may be taken under law.
- 11.15.** MHI shall make budgetary provisions for disbursal of incentives under the Scheme. The PMA will submit budgetary requirements to MHI as a consolidated amount on quarterly basis.
- 11.16.** The PMA shall furnish information to MHI with details of disbursement claims received for incentives, amount disbursed, reasons for rejection and delay in disbursement of the incentives, on a quarterly basis.

12. Review

- 12.1.** Periodic reviews will be undertaken by the EGoS with respect to progress and performance of the Scheme.
- 12.2.** All approved applicants shall be required to furnish self-certified Review Reports on a yearly basis.
- 12.3.** The guidelines can be reviewed and revised by the competent authority, if required.

13. Residual

- 13.1.** Approved applicant shall intimate the PMA of any change in the shareholding pattern during the tenure of the Scheme, after updation with the Registrar of Companies(RoC).
- 13.2.** Any change in the shareholding pattern of an approved applicant leading to a successor-in-interest during the tenure of the Scheme, shall be intimated by PMA for approval of MHI to consider for disbursal of incentives.
- 13.3.** All transactions by the selected applicant with Related Parties will be subject to provisions of relevant statutes and Accounting Standards — 18 and corresponding Ind-AS, as amended from time to time. In case of any proceedings under any Act leading to adjustment of pricing in the

transactions between related parties, effect shall be given in calculation of incentive and/or eligible threshold investment.

- 13.4.** To obviate any malpractices in the financial matters where disbursements are made to industry by the Government, it has been decided to provide deterrence against corrupt practices for promotion of transparency and equity. Therefore, keeping in view the sensitivities involved in the process and taking cue from the instructions of the Central Vigilance Commission regarding addition of an Integrity Pact in the matter of procurement, it has been decided that Applicants shall furnish undertaking w.r.t. Integrity Compliance duly signed by its authorised signatory, as will be notified along with the Application Form.
- 13.5.** The undertaking shall be provided by all applicants whose applications or claims are under consideration for approval or disbursement of incentives. The applications or claims of those applicants who do not submit the undertaking shall not be processed and considered. The undertaking for confirming the compliance of integrity will be provided by applicants after the submission of claims for disbursement of incentive and in any case before release of funds. The release of incentives shall be withheld until the above-mentioned undertaking is provided.
- 14. Guidelines for PLI Scheme for Drone and Drone components:** Guidelines for the PLI scheme for Drone and Drone components shall be separately notified / published by Ministry of Civil Aviation (MoCA).
- 15. List of Advanced Automotive Technology products (Prescribed by MHI from time to time):**
- i. The list of Advance Automotive Technology Vehicles** – The following vehicles are prescribed by Ministry of Heavy Industries (MHI) as Advance Automotive Technology Vehicles. The list can be amended by MHI from time to time depending upon technological developments.

Sr. No.	Description
1	Battery Electric vehicles –All vehicle segments which meet the performance criteria of FAME-II scheme or as notified from time to time by MHI.
2	Hydrogen Fuel Cell Vehicle – All vehicle segments.

- ii. The list of Advance Automotive Technology Components will be notified separately by MHI in due course of time.**

[F. No. 12 (11)/2020-AEI (21370)]

AMIT MEHTA, Jt. Secy.